आदेश की क्रम सं0 और तारीख	<u>पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पनी तिथि
29.12.17	जमाबंदी रद्द वाद सं0 134/2017–18 राज्य (अंचल अधिकारी देवरी) बनाम सहदेव नारायण सिंह साकिन किसगो <u>आदेश</u> यह अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, खोरिमहुआ के पत्रांक 778/गो0 दिनांक 19.08.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त अभिलेख अन्तर्गत मौजा किसगो थाना न0 236 खाता न0 128 प्लॉट न0 61 रकवा 5.77 एकड़ गैरमजरूआ खास जंगल भूमि की सहदेव नारायण सिंह साकिन किसगो के नाम कायम अवैध जमाबंदी को अंचल अधिकारी ,देवरी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, खोरिमहुआ द्वारा बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की गई है। इस न्यायालय से नौटिस निर्गत कर भिन्न–भिन्न तिथियों को सुनवाई की गई। बार–बार मौका देने के बावजुद उतरवादी सहदेव नारायण सिंह के वारिस द्वारा कोई कागजात समर्पित नहीं किया गया। अभिलेख अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए– 1 प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास किस्म जमींन जंगल दर्ज है। 2 प्रश्नगत जमींन का रिटर्न (Form M) समाहर्त्ता द्वारा निर्गत नहीं है। 3 एक लंबे अवधि के बाद सन् 1974–75 ई0 में वगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के सहदेव नारायण सिंह के नाम जमाबंदी कायम की गई है। 4 तथाकथित जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के व्यक्ति नहीं है। अतः अंचल अधिकारी, देवरी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, खोरिमहुआ के जाँच एवं अनुशंसा के आलोक में मौजा किसगो थाना न0 236 खाता न0 128 प्लॉट न0 61 रकवा 5.77 एकड़ गैरमजरूआ खास जंगल भूमि की सहदेव नारायण सिंह के नाम कायम अवैध जमाबंदी को जगदेव महतो एवं कमिशनर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त के आलोक में बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द की जाती है। सम्पुष्टि हेतु अभिलेख आयुक्त उतरी छोटानागपूर प्रमण्डल, हजारीबाग के माध्यम से सरकार को भेजी जाय। अपर समाहर्त्ता गिरिडीह उपायुक्त, गिरिडीह	